128

संख्याः– 153/XXVII (1)/2012

प्रेषक,

आर.सी. अग्रवाल,
अपर सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 16 मार्च,2012

विषयः–13वॉं वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011–12 की द्वितीय किश्त हेतु ग्राम पंचायतों को धनराशि का संक्रमण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 13वॉं वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों को चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में **द्वितीय किश्त के लिए कुल धनराशि ₹175950000.00** (₹सत्रह करोड़ उनसठ लाख पचास हजार मात्र)को संलग्नानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– संक्रमित की जा रही धनराशि वेतन एवं भत्तों आदि पर व्यय नही की जा सकेगी।

3– 13वॉं वित्त आयोग द्वारा संस्तुति की गई है कि संक्रमित धनराशि से निम्न कार्य कराये जा सकते हैं:–

(1)पथ प्रकाश (2) पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण (3) स्वच्छता (4) परिसम्पत्तियों का निर्माण (5) स्वजल धारा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित जलापूर्ति परिसम्पत्तियों को अपने हाथ में लेकर उनका अनुरक्षण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त परिसम्पत्तियों के निर्माण आदि कार्य किये जाने चाहिए।

4– ग्राम पंचातयों को संक्रमित की गई धनराशि कोषागार से आहरण करने हेतु बिल जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार किए जाएंगे जिसे जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कराकर किया जाएगा।

5– जिला पंचायत राज अधिकारी प्रत्येक स्थिति में पॉच दिन के अन्दर सम्बंधित ग्राम पचायत को धनराशि चैक/ड्राफ्ट इलैक्ट्रानिक ट्रॉन्सफर के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करेगे।

6– अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत के सम्बंध में जिला पंचायत राज अधिकारी सम्बंधित जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायेंगे। समय से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने पर भारत सरकार द्वारा अगली किश्त की धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी। **यदि उपयोगिता प्रमाण–पत्र के विलम्ब के कारण कोई धनराशि लैप्स होती है तो उसके लिये जिला पंचायत राज अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।**

7– संक्रमित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी। जिला पंचायत राज अधिकारी उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराकर दिनांक 15 मई, 2012 तक उपलब्ध करायेंगे।

8– संक्रमित धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिस कार्य के लिए धनराशि आवंटित की गई है। इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

9– संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी /मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

10–संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604–स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–02–पंचायती राज संस्थायें–198–ग्राम पंचायतें–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0103–13वाँ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा एवं संलग्न प्रपत्र बी.एम. 15 के कालम–1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

संलग्नक:– यथोक्त।

भवदीय,

(आर.सी.अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।

संख्या 1530/XXVII (1)/2012, तद्दिनांक:–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाँऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं लेखा हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड देहरादून।
5. निदेशक,पंचायतीराज, उत्तराखण्ड–देहरादून।
6. निदेशक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग,ब्लाक 11, पंचम तल सी0जी0ओ0 कोम्पलेक्स नई दिल्ली।
7. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
10. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(आर.सी.अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।

संख्या:– 153/XXVII(1)/2012 दिनांक: 16 : मार्च,2012 का संलग्नक।

13वाँ वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु ग्राम पंचायतों को द्वितीय किश्त हेतु देय धनराशि का संक्रमण। (विकासखण्डवार)

(धनराशि हजार ₹ में)

क्र0सं0	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायतों की संख्या	वर्ष 2011–12 हेतु देय द्वितीय किश्त
			4	5
1	2	3	93	1506
1-	अल्मोड़ा	स्याल्दे	89	812
		ताकुला	109	2201
		धौलादेवी	50	612
		भैसियाछाना	125	1222
		हवलबाग	97	1459
		लमगड़ा	118	1318
		द्वाराहाट	138	1886
		सल्ट	98	897
		भिक्यिासैण	130	2050
		ताड़ीखेत	99	1069
		चौखुटियॉ	**1146**	15032
		योग:–	115	2059
2-	बागेश्वर	कपकोट	101	1041
		गरूड़	181	2226
		बागेश्वर	**397**	5326
		योग:–	94	1687
3-	चमोली	कर्णप्रयाग	52	2748
		जोशीमठ	65	1268
		दशोली	52	922
		घाट	76	1120
		पोखरी	95	1966
		गैरसैण	53	902
		थराली	44	994
		देवाल	70	931
		नारायणबगड़	**601**	12538
		योग:–	65	730
4-	चम्पावत	लोहाघाट	47	564
		बाराकोट	79	981
		पाटी	99	2262
		चम्पावत	**290**	4537
		योग:–	47	2473
5-	देहरादून	डोईवाला	55	2546
		रायपुर	55	3168
		सहसपुर	52	2522
		विकासनगर	97	1844
		चकराता		

(धनराशि हजार ₹ में)

क्र0सं0	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायतों की संख्या	वर्ष 2011–12 हेतु देय द्वितीय किश्त
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		कालसी	97	1906
		योग:–	**403**	14459
6-	हरिद्वार	भगवानपुर	53	3665
		खानपुर	21	1143
		रूड़की	58	2695
		नारसन	58	3123
		लक्सर	48	2220
		बहादराबाद	64	6944
		योग:–	**302**	19790
7-	नैनीताल	औखलकाण्डा	76	1468
		भीमताल	62	905
		बेतालघाट	71	1116
		हल्द्वानी	69	2772
		रामनगर	53	1427
		रामगढ़	56	971
		कोटाबाग	38	894
		धारी	35	615
		योग:–	**460**	**10168**
8-	पौड़ी	बीरोखाल	102	2754
		द्वारीखाल	99	3324
		दुगड्डा	99	5421
		एकेश्वर	83	1671
		लैंसडाउन (जहरीखाल)	74	2167
		कल्जीखाल	87	2139
		खिर्सू	43	1144
		कोट	68	1572
		नैनीडांडा	89	2728
		रिखणीखाल	81	2035
		थलीसैण	102	3725
		यमकेश्वर	86	3368
		पौड़ी	64	1382
		पाबौ	74	2210
		पोखड़ा	57	1113
		योग:–	**1208**	36753
9-	पिथौरागढ़	गंगोलीहाट	122	2094
		मुनाकोट	74	1041
		कनालीछीना	88	984
		धारचूला	56	2529
		पिथौरागढ़(विण)	81	996
		डीडीहाट	67	714

(धनराशि हजार ₹ में)

क्र०सं०	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायतों की संख्या	वर्ष 2011–12 हेतु देय द्वितीय किश्त
1	2	3	4	5
		मुनस्यारी	93	2872
		बेरीनाग	88	1745
		योगः—	**669**	12972
10-	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	156	2662
		जखोली	102	1265
		ऊखीमठ	65	1300
		योग	**323**	5227
11-	टिहरी	नरेन्द्रनगर	111	1126
		कीर्तिनगर	82	939
		चम्बा	99	1267
		देवप्रयाग	111	1522
		भिलंगना	178	4699
		थौलधार	86	1011
		जौनपुर	124	2053
		प्रतापनगर	98	1097
		जाखडीधार	90	1013
		योग	**979**	14727
12-	ऊधम सिंह नगर	खटीमा	55	3811
		सितारगंज	56	3987
		रूद्रपुर	45	1535
		गदरपुर	43	1269
		बाजपुर	39	1554
		काशीपुर	28	1096
		जसपुर	43	1443
		योग	**309**	14695
13-	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	77	1821
		डुण्डा	88	1260
		चिन्यालीसौण	74	1098
		नौगॉव	113	3416
		पुरोला	40	637
		मोरी	62	1494
		योगः—	**454**	9726
		महायोगः—	**7541**	**175950**

(₹ सत्रह करोड़ उनसठ लाख पचास हजार मात्र)

(आर.सी. अग्रवाल)
अपर सचिव वित्त।